श्री जी.एस.इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस, इन्दौर

परिपत्र

क्रमांक / निदेशक / 131 / 2024 / 1879 दिनांक : 06 / 03 / 2024

6 MAR 2024

संस्थान के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र / छात्राओं को संस्थान परिसर में अनुचित गतिविधियों को रोकने एवं अनुशासन को बनाये रखने में सहयोग हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन अपेक्षित है :–

1. संस्थान के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संस्थान परिसर में छात्र–छात्राओं को अनुशासनहीनता एवं अनुचित गतिविधियाँ पाने जाने पर रोकते हुये, निदेशक, डीन प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी अथवा रजिस्ट्रार को अविलम्ब सूचित करें।
2. टीचिंग एवं नॉन–टीचिंग स्टॉफ तथा विद्यार्थी यदि चार पहियां वाहन से आते हैं तो उनके वाहनों में संस्थान का स्टीकर लगा होना अनिवार्य होगा। बिना स्टीकर के वाहनों को सिक्योरिटी गार्ड द्वारा आवश्यक पूछताछ एवं रजिस्टर में जानकारी दर्ज करने के बाद संस्थान में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।
3. विमल बिल्डिंग वाला गेट सिर्फ सुबह (9.30 से 10.30 बजे) के समय ही संस्थान के स्टॉफ एवं छात्रों हेतु आने के लिये खोला जावेगा तत्पश्चात् उसे बंद कर दिया जावेगा एवं जाना निषेध होगा।
4. वी.आई.पी. गेट से आने वाले विद्यार्थियों के लिये गार्ड द्वारा पूछे जाने पर आई कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा; कार्ड के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
5. यदि विद्यार्थी चार पहियां वाहन से संस्थान परिसर में आते हैं तो उनके लिये पार्किंग की व्यवस्था गोल्डन गेट के पीछे होगी और उक्त वाहन में स्टीकर लगा होना अनिवार्य होगा।
6. रात 10.00 बजे के बाद यदि कोई भी संस्थान परिसर में अन्दर आता है तो उसके पास मौजूद बेग / वाहन इत्यादि की जांच एवं आवश्यक पूछताछ की जावेगी।
7. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डी.जे. और अन्य शोर करने वाले साउड सिस्टम पूर्णतः वर्जित रहेंगे और सभी कार्यक्रम शाम 7.00 बजे तक समाप्त करना अनिवार्य होगा।
8. क्षितिज क्लब के कार्यक्रम का आयोजन केवल दिन में ही किया जावेगा। शाम 6.00 बजे के बाद किसी भी प्रकार के छात्रों के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जावेगी।
9. संस्थान स्तर के वार्षिक खेलकूद (इंटर ब्रांच) की सारी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद कर सभी प्रकार के खेलकूद (क्रिकेट / फुटबॉल / हैंडबॉल / नेटबॉल / बास्केटबॉल) आदि को तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।
10. संस्थान परिसर के बगीचों तथा मैदानों में शाम 7.00 बजे के बाद कोई भी छात्र / छात्राएं ग्रुप में बैठे नहीं रहेंगे।
11. यदि कॉलेज के कोई भी छात्र / छात्रा अनुशासनहीनता करते पाये जाते हैं तो पहली बार में उन्हे हॉस्टल से निष्कासित किया जावेगा यदि वे हॉस्टल में रहते हैं तो, और बाहर के विद्यार्थियों पर भी उचित कार्यवाही की जावेगी। दूसरी बार भी अनुशासनहीनता करते पाये जाते हैं तो उन्हें कॉलेज से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावेगी।
12. इस वर्ष से सभी नवीन छात्र / छात्राओं का प्रवेश के समय मेडीक्लेम करवाया जावेगा और जिन विद्यार्थियों का पहले से मेडिक्लेम होगा उन्हे मेडीक्लेम की छायाप्रति जमा करनी होगी।

अतः सभी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त व्यवस्था का पालन करने में संस्थान को सहयोग प्रदान करें।

निदेशक

1881 P

प्रतिलिपि :

1. समस्त डीन्स, विभागाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, अनुभाग प्रभार एवं सुरक्षा प्रभारी
2. समस्त सूचना पटल
3. संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड हेतु